झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) ग्रा०–16/11 रॉंची, दिनांक –

आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल गोड्डा के विरूद्ध मनरेगा के निर्देशो का उल्लंघन कर अनियमित तरीके से क्रय कर राशि का गबन करने के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3363 दिनांक7 07.12.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के सापेक्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि मामला उजागर होने के उपरांत श्री उपाध्याय द्वारा गबन की गई राशि जमा किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि श्री उपाध्याय ने अनियमितता बरती है जिसके लिये वे दोषी हैं। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक – 7252 दिनांक 03.12.13 द्वारा श्री उपाध्याय से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

विभागीय पत्रांक– 1910 दिनांक 03.03.14 द्वारा श्री उपाध्याय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गई।

इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मंतव्य दिया गया कि सरकारी राशि का गबन कर लम्बी अवधि बाद बचने के उद्देश्य से महज राशि लौटा देने से उनका अपराध कम नहीं हो जाता। यह वित्तीय सिद्धान्त के एकदम प्रतिकूल है।

श्री उपाध्याय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा एवं ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड रॉंची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि मामला उजागर होने के उपरांत श्री उपाध्याय के द्वारा उक्त राशि को जमा किया गया है, इससे अपराध की जघन्यता कम नहीं होती है। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा श्री उपाध्याय के विरूद्ध निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया :–

(I) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय को देय पेंशन राशि से 25% राशि की कटौती।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि०)

ज्ञापांक 3125 रॉंची,दिनांक 25-6-15

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखण्ड रॉंची/मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, रॉंची/उपायुक्त, गोड्डा/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई (जल संसाधन विभाग) दुमका/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग झारखण्ड, रॉंची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग झारखण्ड, रॉंची/श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, एम/12 सनसाईन इन्कलेव एम॰जी॰ एम॰ मानगो जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.6.15
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव (नि०)